कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली

क्रमांकः–रसद / उ0मू0दु0 / नियुक्ति / 2026–27 / 608-20 दिनांकः– 23-06-2026

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ.17 (1) खा.वि. / विधि / 08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ.17 (5) खा.वि. / न्याय / महि.आर. / 2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानो के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड (1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस (राजकीय अवकाश को छोडकर) को कार्यालय जिला रसद अधिकारी, करौली से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन–पत्र विहित रीति से भरे जाकर दिनांक 23.06.2026 से दिनांक 06.07.2026 तक कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, करौली में जमा करवाया जा सकेगा। नवसृजित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र.स.	ग्राम पंचायत / शहरी क्षेत्र वार्ड	नवसृजित / रिक्त	तहसील	आरक्षण की स्थिति
1	महुंखास	**नवसृजित**	हिण्डौन ग्रामीण	महिला आरक्षित
2	पालनपुर	**नवसृजित**	श्रीमहावीरजी ग्रामीण	अनारक्षित
3	काचरौंदा	**नवसृजित**	सपोटरा ग्रामीण	अनारक्षित
4	हरनगर	**नवसृजित**	करौली ग्रामीण	महिला अरक्षित
5	मामचारी	**नवसृजित**	करौली ग्रामीण	अनारक्षित
6	जटनंगला	18916 (रिक्त)	हिण्डौन ग्रामीण	महिला आरक्षित
7	कटकड	19118 (रिक्त)	श्रीमहावीरजी ग्रामीण	अनारक्षित
8	कटकड	19140 (रिक्त)	श्रीमहावीरजी ग्रामीण	अनारक्षित
9	पालनपुर	19095 (रिक्त)	श्रीमहावीरजी ग्रामीण	अनारक्षित
10	भझेडा	19679 (रिक्त)	टोडाभीम ग्रामीण	अनारक्षित
11	भण्डारी	19580 (रिक्त)	बालघाट ग्रामीण	अनारक्षित
12	सैंगरपुरा	25244 (रिक्त)	करौली ग्रामीण	अनारक्षित
13	भावली	19297 (रिक्त)	मासलपुर ग्रामीण	अनारक्षित
14	भावली	8259 (रिक्त)	मासलपुर ग्रामीण	अनारक्षित

Dso@ vishnu

15	रिक्त झारेडा	19026 (रिक्त)	हिण्डौन ग्रामीण	महिला आरक्षित
16	वार्ड न. 29(नवीन वार्ड)	21108 (रिक्त)	हिण्डौन शहर	अनारक्षित
17	वार्ड न. 39(नवीन वार्ड)	25197 (रिक्त)	हिण्डौन शहर	अनारक्षित
18	वार्ड न. 27, 28 (नवीन वार्ड)	21104 (रिक्त)	हिण्डौन शहर	अनारक्षित
19	राजाहेडा	25411 (रिक्त)	नादौती ग्रामीण	महिला आरक्षित
20	रलावता	19298 (रिक्त)	नादौती ग्रामीण	अनारक्षित
21	कैमा	19322 (रिक्त)	नादौती ग्रामीण	महिला आरक्षित
22	वार्ड न. 20	18285 (रिक्त)	करौली शहर	महिला आरक्षित
23	वार्ड न. 4	18295 (रिक्त)	करौली शहर	महिला आरक्षित
24	वार्ड न. 28	18244 (रिक्त)	करौली शहर	अनारक्षित
25	वार्ड न.8	18271 (रिक्त)	करौली शहर	अनारक्षित
26	रतियापुरा	19204 (रिक्त)	करौली ग्रामीण	अनारक्षित
27	बीजलपुर	28966 (रिक्त)	करौली ग्रामीण	महिला आरक्षित
28	रानोली	25612 (रिक्त)	टोडाभीम ग्रामीण	अनारक्षित
29	कुढावल	19687 (रिक्त)	टोडाभीम ग्रामीण	अनारक्षित
30	वार्ड न.14, 27	21059 (रिक्त)	टोडाभीम शहर	अनारक्षित
31	वार्ड न. 6, 31, 32, 33	21051 (रिक्त)	टोडाभीम शहर	अनारक्षित
32	वार्ड न. 12, 14, 27	21061 (रिक्त)	टोडाभीम शहर	अनारक्षित
33	वार्ड न. 16, 17	21068 (रिक्त)	टोडाभीम शहर	महिला आरक्षित
34	वार्ड न. 5, 6	21056 (रिक्त)	टोडाभीम शहर	अनारक्षित
35	कालागुडा	19500 (रिक्त)	सपोटरा ग्रामीण	अनारक्षित
36	नानपुर	31175 (रिक्त)	सपोटरा ग्रामीण	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध मे विभागीय पत्रांक एफ.17 (1) खा.वि./ विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 तथा विभागीय पत्र दिनांक 26.04.2016, 22.07.2016 एवं 26.12.2019 द्वारा उचित मूल्य दुकान आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त पत्र/परिपत्रों के दिशा निर्देश तथा उचित मूल्य दुकानों के संबंध मे विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाईट Food.raj.nic.in व कार्यालय जिला रसद अधिकारी, करौली में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

विभागीय पत्रांक एफ.17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं विभागीय पत्रांक एफ.17 (1) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 जयपुर दिनांक 25.11.2020 **उचित मूल्य दुकानो के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की निम्न पात्रताऐं होगी–**

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये, जिस वार्ड के लिये विज्ञप्ति जारी की गई है। अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र स्थित वार्ड्स मे से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।

   ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस ग्राम पंचायत के लिये विज्ञप्ति जारी की गई है।

   उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की न्यनूतम उम्र 21 वर्ष आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को व अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिये अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. आवेदक की ''शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड,(RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये।'' यदि उचित मूल्य दुकानों के आवेदकों मे कोई भी आवेदक से स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति मे 12वीं कक्षा उत्त्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रो को आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा, अर्थात् यदि स्नातक उत्त्तीर्ण आवेदक उपलब्ध है तो 12 वीं उत्त्तीर्ण आवेदक को साक्षात्कार के लिये अनुमति नही दी जायेगी तथा आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा कि चयनित होने के छः माह की अवधि मे ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगा व ऐसे चयनित व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जायेगा।
3. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक नहीं होनी चाहिये। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पांत्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात् भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतान की गणना करते समय एक प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानो को एक इकाई ही समझा जायें।
4. आवेदन पत्र केवल जिला रसद कार्यालय करौली से जारी किये जायेगे। अन्य किसी स्थान यथा टाईपिस्ट, नोटरी/बुक स्टोर से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। एक आवेदन पत्र का मूल्य 100/– निर्धारित किया जाता है। जिला रसद कार्यालय से आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क का भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) जमा कराया जाकर प्राप्त किये जा सकेगे।
5. आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जायेगा वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर होना चाहिये तथा उसका आकार

10*20=200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है इस वितरण के स्थल के तीन ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

6. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुये एक घोषणा पत्र लिया जावेगा।
   6.1 आवेदक पूर्व में ईसी एक्ट के तहत दण्डित नही होगा।
   6.2 आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं द्वारा किया जावेगा।
   6.3 आवेदक के परिवार मे किसी सदस्य यथा माता –पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व मे कोई दुकान नहीं है।
   6.4 आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
   6.5 आवेदक स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है।
   6.6 आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित्त है, चाल चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।
   6.7 आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जावेगा।
7. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा न्यूनतम 100000/– रूपये (एक लाख) का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। (जो छः माह की अवधि से पुराना नही हो) महिला स्वयं सहायता समूह के लिये कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिंशषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000 रूपये का हैसियत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (जो छः माह की अवधि से पुराना नही हो)
8. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव संलग्न करना होगा।
9. आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
10. समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है को हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर समूह की वित्तीय हैसियत के संबंध मे उनकी अंश पूंजी का विवरण, कार्यशील पूंजी का विवरण, वार्षिक कुल राशि का विवरण एवं विगत दो वित्तीय व चालू वर्ष के बैंक खाते का स्टेटमेन्ट की प्रति मय सहायक पंजीयक/ उप पंजीयक की यह अभिशंषा संलग्न करनी अनिवार्य होगी कि समिति की वित्तीय हैसियत 100000/– रूपये है (जो छः माह पुरानी नही हो) और समिति की गत तीन संपरीक्षा (ओडिट रिपोर्ट) मे गंभीर अनियमितता नही है।
11. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वंय सहायता समूह/ग्राम सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले मे) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर मे कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिये अनिवार्य अर्हता होगी।
12. आवेदक द्वारा आवेदन करते समय योग्यता निरर्हता संबंधी कोई तथ्य छिपाये जाते है तो किसी भी स्तर पर आवेदक का चयन निरस्त करने का अधिकार विभाग का रहेगा एवं विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

13. उक्त रिक्तियो मे कमी/बढोतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने के संबंध मे कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

14. सभी रिक्त/नवसृजित दुकानो हेतु आवेदन निर्धारित अवधि मे पूर्ण दस्तावेज के साथ आवेदकों को कार्यालय मे जमा करवाने होगे पूर्व मे जारी विज्ञप्ति के तहत जमा फार्म मान्य नहीं है।

15. सभी रिक्तियों (नवसृजित सहित) के लिये 30 प्रतिशत महिलाओं (बेरोजगार) का क्षैतिज आरक्षण/ वरियता को रखा जायेगा।

16. **विभागीय पत्रांक एफ.17 (1) खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 जयपुर दिनांक 25.11.2020**

<u>चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता:–</u>

(1) आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदको के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता क्रम मे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रक्रिया निम्नानुसार 2 चरणों मे पूर्ण की जावेगी।

(क) प्रथम वरियता (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जावेगा।

(I) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(II) महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव हो।

(III) ग्राम पंचायत/निगमित निकाय

स्पष्टीकरण 1 – आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक को कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना आवश्यक होगा। इस बाबत् प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण 2 – यदि विज्ञापन किये जाने के पश्चात क्रम संख्या (I) (II) व (III) के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है, तो उसको प्राधिकार पत्र जारी किया जावेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

स्पष्टीकरण 3 – महिला स्वयं सहायता समूह के अनुभव के आंकलन के संबंध मे निम्न आधार होगें–

1. समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।
2. समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैक खाता खुला हो।
3. समूह के सदस्य तीन वर्षो से आन्तरिक लेन देन संलग्न हो।

(ख) द्वितीय वरीयता व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता मे आवेदन उपलब्ध नही होने पर)

1. द्विव्यांग (बेरोजगार)
2. भूतपूर्व सैनिक (बेरोजगार)
3. अन्य पात्र (बेरोजगार)

(2) महिला क्षैतिज आरक्षण के कम मे आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। साक्षात्कार द्वारा आवेदको के प्रार्थना पत्रों पर विचार के समय आवेदक के चयन के प्राथमिकता कम मे आवंटन सलाहकार समिति द्वारा चयन प्रकिया निम्नानुसार अपनायी जावेगी।

1. दिव्यांग महिला (बेरोजगार)
2. शहीद की विधवा (बेरोजगार)
3. विधवा (बेरोजगार)
4. परित्यक्ता (बेरोजगार)
5. भूतपूर्व सैनिक महिला (बेरोजगार)
6. अन्य पात्र महिला (बेरोजगार)

स्पष्टीकरण 4 – बहुमत से आशय प्राथमिकता क्रमानुसार बहुमत से है अर्थात् यदि निःशक्तजन का आवेदन पत्र है तथा वह अन्यथा पात्र है तो निःशक्तजन को ही उचित मूल्य दुकान आवंटित की जायेगी।

17. आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा किसी पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन बहुमत के आधार पर किया जायेगा जिसमे जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति मे जिला कलक्टर द्वारा राज्य सरकार को पत्रावली अग्रेषित की जावेगी। ऐसे प्रकरणों मे राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
18. आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु जिला रसद अधिकारी सहित तीन का कोरम पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 5 – आवंटन सलाहकार समिति समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे मे मतभेद होने पर ऐसे प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित नही किये जावें तथा ऐसे प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा ही स्वयं के स्तर से निस्तारित कि जावें।

19. किसी उचित मूल्य दुकान के लिये एक ही आवेदक द्वारा आवेदन किया गया है और वह अर्हताएं पूर्ण करता है, तो उसका चयन कियां जायेगा।

(हितेश कुमार मीना)
जिला रसद अधिकारी
करौली

क्रमांकः–रसद/उ0मू0दु0/नियुक्ति/2026–27/608-20 दिनांकः– 23.06.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर।
4. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति विभाग की वेवसाइट Food.raj.nic.in पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।

Dso@ vishnu

5. माननीय सांसद महोदय, करौली।
6. माननीय विधायक महोदय समस्त जिला करौली।
7. उपखण्ड अधिकारी समस्त।
8. तहसीलदार समस्त जिला करौली।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति जिला करौली।
10. प्रबंधक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम करौली।
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, करौली को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का स्थानीय समाचार पत्रो मे निःशुल्क प्रकाशन करावें।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
करौली